न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 636 सन 2020

राज्य.............................. बनाम ....कृष्ण कुमार

<u>आरोप</u>

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर एतद्द्वारा आप कृष्ण कुमार पर निम्न आरोप लगाता हूँः–

यह कि दिनांक 03.01.2020 को समय 11.40 बजे रात्रि स्थान घर का आंगन ग्राम सौंदा, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत आपने साशय व ज्ञानपूर्वक अपने मकान में अपनी पत्नी सविता की गोली मारकर हत्या कारित की, इस प्रकार आपने **भा0दं0सं0 की धारा 302** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 04.12.2020 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 04.12.2020 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 636 सन 2020

राज्य.............................. बनाम ....कृष्ण कुमार

अपराध संख्याः 14 सन 2020

धाराः 302 भा0दं0सं0

थानाः खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

<u>आदेश</u>

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त पर जुर्म अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त कृष्ण कुमार पर जुर्म अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0 सं0 का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 21.12.2020 को पेश हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

दिनांकः 04.12.2020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 1376 सन 2020

राज्य................................ बनाम ....कृष्ण कुमार

<u>आरोप</u>

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर एतद्द्वारा आप कृष्ण कुमार पर निम्न आरोप लगाता हूँ:–

यह कि दिनांक 04.01.2020 को समय 10.45 बजे, स्थान आबादी ग्राम सौंदा, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत आपको आपके मकान से गिरफतार किया गया तथा जामा तलाशी लेने पर आपके कब्जे से मु0अ0सं0 14 सन 2020, धारा 302 भा0दं0सं0, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर की घटना में प्रयुक्त आला कत्ल तमन्चा 315 बोर, जिसकी नाल में खोखा कारतूस फंसा था तथा पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ, जिसे रखने का आपके पास कोई वैध अधिकारपत्र नहीं था, इस प्रकार आपने **आयुध अधिनियम की धारा 3/25/27** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 04.12.2020 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 04.12.2020 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 1376 सन 2020

राज्य................................ बनाम ....कृष्ण कुमार

अपराध संख्याः 15 सन 2020

धाराः 3/25/27 आयुध अधिनियम

थानाः खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

<u>आदेश</u>

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त पर जुर्म अन्तर्गत धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त कृष्ण कुमार पर जुर्म अन्तर्गत धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 21.12.2020 को पेश हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

दिनांकः 04.12.2020